छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा अष्ठम सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2016

(आषाढ़ 24, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य के जन्मदिवस के अवसर पर सदन की ओर से माननीय सदस्य को शुभकामनाएं दीं।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 एवं 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(तारांकित प्रश्न खंख्या 05 पर चर्चा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 15 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने रायपुर में अवैध मोबाईल टॉवर एवं विज्ञापन होर्डिंग लगाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन द्वारा दवाई खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवशंकर पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

3. श्री देवजीभाई पटेल
4. श्री मोतीलाल देवांगन
6. श्री पारसनाथ राजवाड़े, डॉ. प्रीतम राम
7. सर्वश्री दीपक बैज, अमरजीत भगत
8. सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल
9. श्रीमती तेजकुंवर गोर्वधन नेताम
10. सर्वश्री मोहन मरकाम, संतराम नेताम
11. श्री मोहन मरकाम
12. श्री बृहस्पत सिंह
14. डॉ. विमल चोपड़ा
15. श्री शिवरतन शर्मा

6. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) श्री नवीन मारकण्डेय
(3) श्री मोतीलाल देवांगन
(4) डॉ.खिलावन साहू

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) श्री रोशनलाल अग्रवाल
(3) श्री दलेश्वर साहू

8. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को नेशनल फाऊंडेशन फॉर इंडिया एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय सदस्यों के लिए दोपहर 1.45 से 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित नवीन समिति कक्ष में स्वास्थ्य विषय पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोजन अवकाश दोपहर 1.00 बजे होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि परामर्श कार्यक्रम में हिस्सा लें।

(1.01 से 3.30 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

10. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक-20 सन् 2016)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक-20 सन् 2016) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक-20 सन् 2016) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

12. वक्तव्य

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में अनियमित निर्माणों को नियमितिकरण करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

13. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की जाय।"

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री दीपक बैज, देवजी भाई पटेल, अरूण वोरा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सभा के समय में 7.30 बजे तक या अशासकीय कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्तुतकर्ता सदस्य से संकल्प को वापस लेने हेतु आग्रह किया।

माननीय सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

2. सदन का यह मत है कि "प्रदेश में खाद्यान्नों के सुरक्षात्मक संग्रहण हेतु पर्याप्त संख्या में गोदामों का निर्माण किया जाय।"

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, मोहन मरकाम,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, दलेश्वर साहू, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, श्रीमती सरोजनी बंजारे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्तुतकर्ता सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।
माननीय सदस्य द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

संकल्प पर मत लिया गया।
संकल्प के पक्ष में 13 एवं विपक्ष में 27 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016 (आषाढ़ - 27, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा